Springboard ACADEMY

RAS Mains 2018 Notes

विधि + खेल एवं योग + अंकेक्षण + लोक प्रशासन

राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा के लिए

महत्वपूर्ण नोट्स

(RPSC के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार)

AN INSTITUTE FOR IAS & RAS

Plot A-1, Keshav Vihar, Riddhi Siddhi Chouraha, Gopalpura Bye Pass Jaipur

M.No. : 9636977490, 8955577492, Website : www.springboardindia.org

INDEX – M2H

Topic	Page
विधि	**1–46**
विधि की अवधारणा	1
बाल कानून	10
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम – 2005	15
वर्तमान विधिक मुद्दे	21
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम – 1956	37
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955	42
खेल और योग	**47–83**
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद	47
राष्ट्रीय अवॉर्ड	48
भारतीय खिलाड़ियों की ओलम्पिक में भागीदारी एवं पैरा–ओलम्पिक खेल	60
खेलों में प्राथमिक उपचार	63
योग	68
भारत में खेल नीतियां	79
अंकेक्षण (Auditing)	**84–119**
परिचय	84
लेखांकन के चरण	87
आंतरिक नियंत्रण	91
सामाजिक अंकेक्षण	97
लेखांकन (Accounting)	99
वित्तीय विवरण पत्र (Financial Statement)	106
कार्यशील पूंजी	109
बजट	112
लोकप्रशासन	**120–265**
(List of Content given on page 120)	

Springboard ACADEMY

प्रश्न पत्र – III

सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

इकाई –III

खण्ड – स – विधि

▪ **विधि की अवधारणा** :–स्वामित्व एवं कब्जा,व्यक्तित्व, दायित्व अधिकार एवं कर्त्तव्य।

▪**वर्तमान विधिक मुद्दे** :– सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी विधि साइबर अपराध सहित (अवधारणा,प्रकार एवं उद्देश्य)

▪**स्थिति एवं बालकों के विरूद्ध अपराध** :–घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम– इ2012, बालश्रमिकों से संबंधित विधि।

▪**राजस्थान में महत्त्वपूर्ण भूमि विधियां** :–

(क) राजस्थान भू–अराजस्व अधिनियम 1956
(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विधि की अवधारणा

स्वामित्व

स्वामित्व एक विशिष्ट अधिकार है जो किसी भी वस्तु पर वैधानिक हक दिलवाता है। स्वामित्व की अवधारणा का विकास सभ्यता के विकास के साथ हुआ। जैसे–जैसे मानव धुमन्तु जीवन से स्थिर जीवन की ओर बढ़ा वैसे–वैसे इस अवधारणा का विकास हुआ तब लोगों को तेरा–मेरा (Mine Thine) की भावना प्रभावित करने लगी। इस अवधारणा का विकास सबसे पहले रोमन विधि में हुआ। भारत में भी उसका विकास प्राचीन से ही हो गया था। भारतीय विधि ने प्रांरभ से ही कब्जा तथा स्वामित्व में अंतर को पहचाना परन्तु आंग्ल विधि में इन दोनों अवधारणाओं के बीच में अंतर बाद में स्पष्ट हुआ।

रोमन विधि :– रोमन विधि में सर्वप्रथम उस अवधारणा विकास हुआ था। इस विधि के अंतर्गत स्वमित्व के लिए डोमिनियम तथा कवजे के लिए पोजोसियो शब्द का उपयोग किया गया।
डोमिनियम का अर्थ – किसी वस्तु पर संपूर्ण अधिकार होना।
पोलेसियो का अर्थ – किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण होना रोमन विधि ने स्वामित्व को अधिक महत्व दिया।

आंग्ल विधि – उस विधि के अंतर्गत कब्जे की अवधारणा पहले विकसित हुई तथा उसी अवधारणा में स्वामित्व की अवधारणा को निहित माना गया अतः होल्डसवर्थ के अनुसार आंग्ल विधि में कब्जे की अवधारणा के विकास के द्वारा ही स्वामित्व की अवधारणा को एक संपूर्ण अधिकार के जैसे – स्वीकार किया गया।

भारतीय अवधारणा/हिन्दु लॉ :–स्वामित्व की अवधारणा हिन्दु विधि में प्राचीन काल में ही विकसित हो गयी थी। इस विधि के अनुसार स्वामित्व का अर्थ वैधानिक अधिकार एवं किसी वस्तु पर कब्जा या उपभोग करने का अधिकार होता है। बहुत से साक्ष्य हिन्दु कानून में/हिन्दु विधि में स्वामित्व की अवधारणा के विकास की पुष्टि करते है।

जैसे ब्रह्म पुराण में वैधानिक एक प्राप्त करने के लिये 7 तरीके बताये है।
मनुस्मृति में विक्रय को स्वामित्व स्थानान्तरित करने का उचित तरीका माना गया तथा विक्रय के आधार पर स्वामित्व के दो प्रकार बताये है।

1. स्पूर्ण स्वामित्व
2. सीमित स्वामित्व

उस विधि में संपत्ति की अवधारणा का विकास हो चुका था जो इस विधि में संपत्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई अवधारणा है।
– प्राचीन काल में संपत्ति को जगंम (Movable) तथा स्थावर दो भागों में बांटा गया था।

पश्चिमी विधि/अवधारणा	**भारतीय विधि/अवधारणा**
1. इस अवधारणा के अंतर्गत साकार तथा निराकार/मूर्त तथा अमूर्त दोनों वस्तुओं पर स्वामित्व को स्वीकार किया गया।	1. इस विधि के अंतर्गत सीमित तथा संपूर्ण स्वामित्व की अवधारणा को स्वीकार किया गया।
2. इस विधि के अंतर्गत स्वामित्व को महत्व दिया गया परन्तु वैधानिक हक को ज्यादा महत्व नहीं मिला।	2. इस विधि में वैधानिक हक को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया इसलिए उस समय ताम्र पत्र, पट्टे आदि दिये जाते थे।
3. इसके अंतर्गत गैर वैधाानिक रूप से स्वामित्व स्थापित करने पर किसी दण्ड का प्रावधान नहीं था। दण्ड का प्रावधान बाद में विकसित हुआ।	3. इसके अंतर्गत दण्ड का प्रावधान विकसित हो चुका था जिसके साक्ष्य मनुस्मृति में मिलते है।

पश्चिमी विधि शास्त्रीयों के विचार :–

ऑस्टिन की अवधारणा :– ऑस्टीन के अनुसार स्वामित्व किसी व्यक्ति तथा वस्तु के बीच संबंध हैं

ऑस्टिन ने स्वामित्व की अवधारणा इस प्रकार दी, ''स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर एक ऐसा अधिकार है जो उपभोग की दृष्टि से अनिश्चित व्ययन की दृष्टि से निर्बाधित एवं अवधि की दृष्टि से असीमित है।''
ऑस्टीन के विचार की काफी आलोचना हुई जो निम्न है।

1. स्वामित्व एक अधिकार नहीं अपितु यह अधिकारों का समूह है जिसमें से यदि कुछ अधिकार यदि किसी ओर को दे दिये जाये तब भी स्वामित्व समाप्त नहीं होता – जैसे – मकान मालिक, किराये दार।
2. व्ययन का अधिकार निर्बाधित नहीं है क्योंकि सरकार इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है।
   डदा. – संपत्ति के अवैध उपयोग पर रोक
3. स्वामित्व की अवधि असीमित नहीं है क्योंकि सरकार या राज्य जनता के हितों के लिये स्वामित्व का अधिग्रहण कर सकती है।
   जैसे – जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन
   प्रीवर्स बंद

सॉमण्ड की अवधारणा :– सॉमण्ड ने स्वामित्व को व्यक्ति तथा उसमें निहित अधिकारों के बीच का संबंध है। स्वामित्व किसी में निहित समस्त अधिकार है जिन्हें व्यक्ति दूसरे के विरूद्ध प्रयोग करता है उसने स्वामित्व की निराकार (अमूर्त) परिकल्पना की परिभाषा दी। सॉमण्ड द्वारा परिभाषित स्वामित्व में निम्नलिखित सम्मिलित है।

1. कवजे का अधिकार
2. उपभोग तथा उपयोग का अधिकार
3. व्ययन तथा वस्तु को नष्ट करने का अधिकार
4. असीमित काल तक स्वामित्व बनाये रखने का अधिकार
5. अवशिष्ट अधिकारों पर स्वामी का अधिकार

आलोचना :– 1. सॉमण्ड ने स्वामित्व को अमूर्त रूप से देखा जो कि समझना काफी जटिल है।

2. स्वामित्व किसी वस्तु का होता है न कि किसी अधिकार का
3. स्वामित्व का निराकार स्वरूप समझना जटिल है।

हालैण्ड की अवधारणा "स्वामित्व किसी वस्तु पर संपूर्ण नियंत्रण है जिसमें कब्जे उपभोग एवं व्ययन के अधिकार सम्मिलित है।

डिबर्ट के अनुसार स्वामित्व में 4 अधिकार निहित है।
1. किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार।
2. अन्य व्यक्तियों को वस्तु से अपवार्जित करने का अधिकार
3. वस्तु के व्ययन का अधिकार
4. वस्तु को नष्ट करने का अधिकार

रैनर की अवधारणा –रैनर माकर्सवादी विचारधार रखता है इसके अनुसार स्वामित्वव का अर्थ है पूंजीवादियों द्वारा अन्य व्यक्तियों पर अधिकार किया जाना चाहिए।
कुछ देश निजी स्वामित्व की अपेक्षा सार्वजनिक स्वामित्व पर अधिक बल देते है।

निष्कर्ष :– पहले जो स्वामित्व की अवधारणा विकसित हुई थी। उसमें व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता था अतः उसमें समय संपूर्ण स्वामित्व की अवधारणा को माना जाता है जैसे आस्टिन ने माना कालान्तर में व्यक्ति के साथ राज्य को भी महत्व दिया जाने लगा अतः सीमित स्वामित्व की अवधारणा स्थापित हुई। वर्तमान काल में स्वामित्व की अवधारणा राज्य के कानूनों के अंतर्गत नियंत्रित की जाती है।

स्वामित्व की विशेषताएं :–
स्वामित्व पूर्ण तथा निर्बाधित हो सकता है परंतु कुछ स्थितियों में उस पर उचित प्रतिबंध लगाये जा सकते है – जैसे आपातकालीन स्थिति के दौरान किसी वस्तु पर स्वामित्व बनाये रखने के लिए स्वामी को कर तथा शुल्क आदि देना पड़ता है।
स्वामित्व वाली वस्तु का उपभोग अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता अनुचित व्ययन नहीं किया जा सकता।
– किसी संपत्ति के स्वामी की मृत्यु हो जाने पर स्वामित्व समाप्त नहीं होता और वह उसके विधिक उत्तराधिकारियों में निहित हो जाता है।
– सामान्यतः पागल, जड़ एवं अवयस्क व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व का उपयोग नहीं किया जा सकता।

स्वामित्व का प्रकार :–
1. मूर्त और अमूर्त स्वामित्व :– मूर्त स्वामित्व का अर्थ है किसी वस्तु पर स्वामित्व। उसमें मुख्य रूप से भौतिक वस्तुएं सम्मिलित है जैसे :– गाड़ी, बंगला।
अमूर्त स्वामित्व का अर्थ है किसी अधिकार पर स्वामित्व होना। जैसे – बौद्धिक अधिकार।

2. एकल तथा सह स्वामित्व :– एकल स्वामित्व का अर्थ है स्वामित्व का अधिकार एक व्यक्ति में निहित होना।
सह स्वामित्व का अर्थ है स्वामित्व का अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों के पास होना।

3. निहित एवं सम्माव्य स्वामित्व :– जब स्वामित्व सही एवं तत्काल हो तथा किसी शर्त पर निर्भर न करता हो उसे निहित स्वामित्व कहते है, किसी शर्त के पूर्ण होने पर सम्माव्य स्वामित्व स्थापित होता है।

4. संपूर्ण और सीमित स्वामित्व :– संपूर्ण स्वामित्व का अर्थ है बिना किसी शर्त के वस्तु के उपभोग कब्जे एवं व्ययन का पूर्ण अधिकार होना।
– सीमित स्वामित्व का अर्थ है वस्तु का असीमित उपयोग, कब्जे एवं व्ययन का अधिकार जो सामान्यतः संविदा द्वारा सीमित किया जाता है।

5. वैधानिक और न्याय साम्य स्वामित्व :– वैधानिक स्वामित्व का अर्थ विधि के अनुसार स्थापित किया गया स्वामित्व।
न्यायसाम्य स्वामित्व का अर्थ है ऐसा स्वामित्व जो अंश (शेयर) पर निर्भर करता है।

6. न्यास एवं लाभकारी स्वामित्व :– न्यास स्वामित्व में स्वामित्व को लाभ के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। यह स्वामित्व सीमित होता है क्योंकि उसमें केवल स्वामित्व वाली वस्तु के प्रबंधन का अधिकार होता है ना कि उसके भोग का।
लाभकारी स्वामित्व में स्वामित्व का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है।

कब्जा

कब्जे का अर्थ है किसी वस्तु साभिप्राय भौतिक नियंत्रण स्थापित करना।
किसी वस्तु का कब्जा नियत एवं नियंत्रण द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
कब्जा वास्तविक स्वामी के सिवाय संपूर्ण विश्व के विरूद्ध एक समुचित हक होता है उसके अंतर्गत कब्जे वाली वस्तु को अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने से अपवार्जित किया जाता है।
दीर्घकालीन कब्जा स्वामित्व में परिवर्तित किया जा सकता है।

परिभाषाएं :–
सॉमण्ड – किसी वस्तु एवं व्यक्ति के बीच निरंतर एवं वास्तविक संबंध को कब्जा कहते है।

फ्रेडरिक पोलक :–कब्जे से अभिप्राय है ''किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण''

सैविनी कब्जे का अर्थ है, ''कब्जाधारी अपने भौतिक बल के आधार पर अन्य व्यक्तियों को कवजाहीन वस्तु के उपयोग एवं उपभोग से वर्जित रखे।''

मैन कब्जे से आशय, ''किसी वस्तु के साथ ऐसे संपर्क से है जो अन्य व्यक्तियों को उस वस्तु के उपभोग से अपवर्जित करता है।''

कब्जे के तत्व

कब्जे के दो प्रमुख तत्व की अवधारणा रोमन विधि के शब्द एनीमस (Animus) से ली गयी है।
एनीमस का अर्थ है ''वस्तु का कब्जा धारण करने की मानसिक इच्छा।''

भौतिक तत्व :– इस तत्व की अवधारणा रोमन विधि के शब्द कॉर्पस (Corpus) से ली गयी है।
कॉर्पस का अर्थ है ''कब्जे का काय अर्थात् वस्तु पर भौतिक नियंत्रण स्थापित करना होता है।
सॉमण्ड के अनुसार कब्जा स्थापित करने के लिए ये दोनों तत्व अत्यंत आवश्यक होते है।

कब्जा अर्जित करने का तरीके :–
कब्जा या तो एक पक्षीय होता है या द्विपक्षीय तथा कब्जे को अर्जित करने के तीन तरीके है।
1. ग्रहण द्वारा :– उसमें वस्तु का कब्जा पूर्ववर्ती कब्जाधारी की सहमति के बिना प्राप्त किया जाता है।
2. परिदान द्वारा :– जब किसी वस्तु का कब्जा पूर्व कवजाधारी की सहमति एवं सहयोग से प्राप्त किया जाता है तो उसे परिदान द्वारा अर्जन कवजा कहते है।
3. विधि के प्रवर्तन द्वारा :– जब विधि के प्रवर्तन द्वारा किसी वस्तु या संपत्ति के कवजे का हस्तान्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है तो उस विधि के प्रवर्तन द्वारा कवजा कहा जाता है।

कवजे की विशेषताएं

1. कवजा बनाये रखने के लिए अन्य व्यक्तियों को उस कवजे से अपवर्जित रखना होता है।
2. कवजा स्वामित्व का प्रथम साक्ष्य होता है।,
3. कवजा विधि का नवा अंक होता है। कवजे को विधि 9/10 मी ली जाती है। क्योंकि कवजाधारी के स्वामी होने की उपधारणा ली जाती है। जो व्यक्ति कवजाधारी के कब्जे की चुनौती देता है उसे कवजाधारी

से बेहतर हक साबित करना होता है। बेहतर हक सिद्ध करने का भार चुनौती देने वाले व्यक्ति पर होता है न कि कब्जाधारी पर अतः कवजाधारी अन्य व्यक्तियों से बेहतर स्थिति में होता है। एवं अधिक अधिकार रखता है। उस व्यक्ति को कब्जाधाहीन करने का हक केवल वास्तविक स्वामी को होता है।

कब्जे के प्रकार

1. मूर्त एवं अमूर्त कब्जा :– जब किसी भौतिक वस्तु पर कब्जा स्थापित किया जाता है तो उसे मूर्त कब्जा कहते है जैसे मकान, गाड़ी आदि पर कब्जा।
यदि कब्जा अमूर्त वस्तुओं पर किया जाता है तो उसे अर्मूत कब्जा कहते है। जैसे बौद्धिक संपदा पर अधिकार।

2. तात्काालिक एवं मध्यवर्ती कब्जा :– जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कब्जा अर्जित करता है तो उसे तात्कालिक कब्जा कहते है।
जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कब्जा प्राप्त करता है तो उसे मध्यवर्ती कब्जा कहते है।

3. तथ्यतः एवं विधित कब्जा :– तथ्यतः कब्जे का अर्थ है किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण तथा विधित कब्जे का अर्थ है ''विधि के अंतर्गत कवजे का अधिकार होना।''

4. प्रतीकात्मक (आन्वयिक) कब्जा :– किसी वस्त ु पर प्रतीक के तौर पर किये जाने वाले कब्जे को प्रतीकात्मक कब्जा कहते है।
जैसे – किसी को मकान की चाबी सौंपना।

5. समवर्ती कब्जा :– किसी वस्तु पर एक से अधिक व्यक्तियों का कब्जा होना जैसे सहस्वामित्व में होता है।

6. प्रतिकूल कब्जा :– किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व का अतिक्रमण करने को प्रतिकूल कब्जा कहते है।

कब्जा एवं स्वामित्व में संबंध

कब्जे तथा स्वामित्व की अवधारणा एक दूसरे से संबंधित है। दोनों अवधारणाओंके अंतर्गत किसी वस्तु पर कुछ अधिकार प्राप्त होते है। जैसे – स्वामित्व वाली वस्तु के उपयोग, उपभोग, व्ययन एवं नष्ट करने का अधिकार। तथा कब्जे के अंतर्गत उपयोग तथा उपभोग के अधिकार मिलते है।

स्वामित्व को कब्जे द्वारा दर्शाया जाता है तथा कवजा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है।
स्वामित्व को हस्तांतरित करने के लिए कब्जे का हस्तांतरित करना होता है।
इन समानताओं तथा संबंधों के बावजूद इन दोनों अवधारणाओं में बहुत से अंतर है जो निम्न है :–

स्वामित्व	**कब्जा**
–यह हमेशा वैधानिक होता है।	–यह वैधानिक तथा गैर वैधानिक दोनों हो सकता है।
–स्वामित्व वैधानिक स्थिति बताता है।	–यह वास्तविक स्थिति दर्शाता है।
–स्वामित्व के लिए वैधानिक मान्यता आवश्यक होती है।	–कब्जे के लिए नियत एवं नियंत्रण आवश्यक होता है।
–भौतिक नियंत्रण स्वामित्व की अवधि निर्धारित नहीं करता है।	–भौतिक नियंत्रण कब्जे की अवधि का निर्धारण करता है।
–स्वामित्व के हस्तांरण के लिए विधिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।	–कब्जे के हस्तांरण के लिए हमेशा विधिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है।
–स्वामित्व हमेशा सही एवं नियमानुसार होता है।	–कब्जा और कानूनी एवं गलत भी हो सकता है।
–स्वामित्व में कब्जे का अधिकार निहित होता है।	–कब्जे में हमेशा स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

कब्जे को सुरक्षित किये जाने के कारण बताइये।

1. कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है।
2. शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कब्जे को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है ताकि विधि विरूद्ध कोई किसी को कब्जे से बेदखल न करें।
3. कब्जा अपकृत्य को रोकता है।
4. कब्जे में हस्तक्षेप करना अविचार कहलाता है तथा अतिचारी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जा सकती है।

व्यक्तित्व

व्यक्तित्व विधि द्वारा निर्मित एक इकाई है जिसे विधि कर्त्तव्य एवं अधिकार प्रदान करती है।

विधिक व्यक्तित्व की परिभाषा :–

सॉमण्ड के अनुसार, ''विधिक व्यक्ति से अभिप्राय मानव के अलावा अन्य किसी ऐसी इकाई से होता है जिसे विधि के अंतर्गत व्यक्तित्व प्राप्त हो।''

केल्सन के अनुसार, ''विधिक व्यक्ति एक मिथक है क्योंकि उसमें अधिकार एवं कर्त्तव्यों से अधिक कुछ नहीं होता है।

प्रोफेसर ग्रे के अनुसार, ''व्यक्ति एक अस्तित्व या सत्ता है जिस पर अधिकार एवं कर्त्तव्य अधिरोपित किये जा सकते है।

ऑस्टिन के अनुसार, ''अवस्था या प्रास्थिति में विहित मनुष्य ही विधिक से व्यक्ति कहलाता है।''

विधिक व्यक्तित्व के प्रकार :–

1. निगम :– व्यक्तियों का समूह जिसे विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। निगम दो प्रकार के होते है :–

– एकल निगम :– इस निगम में एक समय में एक व्यक्ति ही स्थित होता है। उदा. – इंग्लैण्ड का सम्राट, राष्ट्रपति।

– समष्टि निगम :– एक विशेष उद्देश्य हेतु संगठित व्यक्तियों के समूह को समष्टि निगम कहते है जैसे – कंपनी आदि।

2. संस्था :– यह निगमित निकाय के तुल्य एक व्यक्तियों का समूह होता है। उदा. – विश्वविद्यालय चिकित्सालय।

3. निधि या संपदा :– विशिष्ट प्रयोजनों में प्रयुक्त निधि या संपदा को भी विधिक व्यक्ति माना गया है।
उदा. – न्यास संपदा आदि।

विधिक व्यक्ति की विशेषताएं :–

1. विधिक व्यक्तित्व शाश्वत अधिकार रखता है।
2. निगमित निकाय की कभी मृत्यु नहीं होती। निगमित निकाय के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर या उसके हट जाने से निकाय का समापन नहीं हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्थान जो निकाय का सदस्य होता है परन्तु उसकी मृत्यु हो गयी हो उसके वारिस या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ले लिया जाता है।
3. उसकी अपनी एक सामान्य मुहर होती है।
4. यह संपत्ति धारण कर सकता है।
5. इसके विरूद्ध वाद या उसकी ओर से वाद लाया जा सकता है।
6. विधिक व्यक्ति तथा उसके सदस्य पृथक होते है।

कॉरपोरेट पर्दा

कॉरपोरेट पर्दे की अवधारणा वैधानिक व्यक्तित्व से जुड़ी है। यह पर्दा वैधानिक निकाय के सदस्यों को निजी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि सभी दायित्व वैधानिक व्यक्तित्व के होते है। यदि कोई वाद होता है तो विधिक व्यक्तित्व के विरूद्ध होता है न कि उसके सदस्यों के विरूद्ध।

अतः वैधानिक या विधिक व्यक्तित्व उसके सदस्यों को एक आवरण या पर्दा प्रदान करता है जिसके पीछे वह विभिन्न दायित्वों से बच जाते है। यह पर्दा अपरागम्य नहीं है क्योंकि यदि वैधानिक व्यक्तित्व का उपयोग विधि के विरूद्ध या धोखाधड़ी आदि के लिए किया जाये तो न्यायालय उस पर्दे को उठाने का आदेश दे सकता है।

– पर्दा हटाये जाने की स्थिति में वैधानिक निकाय के सदस्यों पर निजी दायित्व भी आ जाता है जैसे DRT (Debt Recovery Tribunal) ने विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर के कॉरपेट पर्दे को उठाने का आदेश दिया था।

निष्कर्ष :– विधिक व्यक्तित्व अपने सदस्यों को सम्मिलित रूप से एक पहचान उपलब्ध करवाता है तथा यह अपने सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

दायित्व

सॉमण्ड के अनुसार,''दायित्व आवश्यकता का वह बंधन है जो कि दोषकर्त्ता एवं दोष के उपचार के बीच होता है।''

विधि की अवधारणा में दायित्व का अर्थ, ''किसी भी कार्य एवं चूक के लिए किसी को उत्तरदायी बनाना होता है।''

– दायित्व विधिक बाध्यता उत्पन्न करता है।
– दायित्व सिविल या अपराधिक हो सकता है।
– सिविल दायित्व दो तरह के होते है :–

1. **अनुबंध की शर्तों के अनुपालन का दायित्व :–** इस प्रकार के दायित्व में कोई बीमा उपलब्ध नहीं होता।
2. **अपकृत्य के कारण अधिरोपित होने वाले दायित्व** के लिये बीमा उपलब्ध करवाया जाता है।

दायित्व के प्रकार

1. **प्राथमिक दायित्व :–** यह वह दायित्व होता है जिसके लिए व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने कृत्य या अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है।

2. **द्वितीयक दायित्व :–** यह वह दायित्व होता है जो जब उत्पन्न होता है तब प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्त्तव्यों एवं बाध्यता को पूर्ण करने में असफल रहता है।
यह अप्रत्यक्ष दायित्व है।

3. **सीमित दायित्व :–** इस प्रकार के दायित्व की जवाबदेही सीमित होती है। जैसे वैधानिक निकाय के सदस्य या अंश धारक का दायित्व केवल उतना ही होता है जितना उसने निवेश किया हो।

4. **संयुक्त दायित्व :–** जब एक से अधिक व्यक्तियों को किसी कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी माना जाये।

5. **पृथक दायित्व :–** जब व्यक्ति किसी संस्था, निकाय में पृथक रूप से अपने कार्य एवं चूक के लिये उत्तरादायी होता है तो उसे पृथक कहा जाता है।

6. **पूर्ण दायित्व :–** जब व्यक्ति अपने कार्य एवं चूक के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है तो उसे पूर्ण दायित्व कहते है।

7. **प्रतिनिधिक दायित्व :–** जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी होता है तो उसे प्रतिनिधिक दायित्व कहते है।

विधिक व्यक्तित्व तथा दायित्व के बीच संबंध :–

विधिक व्यक्तित्व के कुछ अधिकार एवं कर्त्तव्य होते है, यदि वह अपने कर्त्तव्य होते है, यदि वह अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण करने में असफल होता है तो पूर्ण दायित्व उसी का माना जाता है विधिक व्यक्तित्व अपने सदस्यों को पूर्ण दायित्वों से बचाता है तथा उनके दायित्व को सीमित करता है।

विधिक अधिकार

विधिक अधिकार वे अधिकार होते है जो विधि में मान्यता रखते है तथा उन्हें विधि द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है।

सॉमण्ड के अनुसार,''विधिक अधिकार विधि द्वारा मान्य एवं संरक्षित हित होते है।''

प्रोफेसर ग्रे के अनुसार,''विधिक अधिकार एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए वैधानिक कर्त्तव्य द्वारा आबद्ध या बाध्य करता है।''

विधिक अधिकार के सिद्धांत

1. ईच्छा सिद्धांत :– इस सिद्धांत के अनुसार ईच्छा ही अधिकार का मुख्य तत्व होती है। विधि का प्रयोजन व्यक्ति को अपने को अभिव्यक्त करने के साधन उपलब्ध कराना होता है। इसके लिए अधिकार दिये जाते है।

इस सिद्धांत के पक्ष में निम्नलिखित विधि शास्त्री है :–

1. ऑस्टीन
2. हॉलैण्ड
3. पोलक

2. हित सिद्धांत :– इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का आधार हित होता है क्योंकि इच्छा के बिना भी अधिकार हो सकते है जैसे शिशु पागल और निगम को विधिक अधिकार प्राप्त होते है।

इस सिद्धांत के पक्ष में मुख्य रूप से इहरिंग विधि शास्त्री है।

अधिकार के मुख्य तत्व (सॉमण्ड के अनुसार)

1. अधिकार का हकदार व्यक्ति
2. अधिकार से आबद्ध व्यक्ति
3. अधिकार की विषय–वस्तु
4. अधिकार की अंतर्वस्तु
5. अधिकार का हक

विधिक अधिकारों के प्रकार

1. सकारात्मक एवं नकारात्मक अधिकार :– वह अधिकार जो आबद्ध व्यक्ति को कुछ करने के लिए बाध्य करता है वे सकारात्मक अधिकार होते है तथा वह अधिकार जो आबद्ध व्यक्ति को कुछ न करने के लिए बाध्य करे उसे नकारात्मक अधिकार कहते है।

2. वास्तविक एवं व्यक्तिगत अधिकार :– वास्तविक अधिकार लोकलक्ष्मी होता है क्योंकि यह संपूर्ण विश्व के विरूद्ध प्राप्त एवं संरक्षित होते है जैसे संपत्ति का अधिकार, इस अधिकार को ''REM'' रेम अधिकार भी कहते है।

व्यक्तिगत अधिकार केवल व्यक्ति विशेष या निर्धारित व्यक्तियों के विरूद्ध प्राप्त होता है इसे परासोनम अधिकार भी कहते है।

3. पूर्ण एवं अपूर्ण अधिकार :– पूर्ण अधिकार वह अधिकार हे जिनके उल्लंघन किये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में वाद किया जा सकता है तथा अपूर्ण अधिकार का अर्थ ऐसे विधिक अधिकार जिसे मान्यता तो प्राप्त होती है परंतु उसको विधि द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं होता है।

4. साम्पतिक एवं वैयक्तिक अधिकार :– साम्पतिक अधिकार मनुष्य की संपत्ति या सम्पदा में निहित होता है। इस अधिकार का मूल्यांकन किया जा सकता है। वैयक्तिक अधिकार का संबंध अमूल्य चीजों से है जैसे – व्यक्ति का मान–सम्मान, व्यक्तित्व आदि।

Springboard Academy

5. वंशानुगत एवं अवंशानुगत अधिकार :– वंशानुगत अधिकार वे अधिकार होते है जो व्यक्ति के मरने के बाद भी अस्तित्व में रहते है एवं अगली पीढ़ी को मिलता है तथा अवंशानुगत अधिकार वे अधिकार होते है जो व्यक्ति के जीवन काल तक रहते है।

6. स्व–साम्पतिक एवं पर–साम्पतिक अधिकार :– किसी व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर अधिकार स्व–साम्पतिक अधिकार कहलाता है तथा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार को पर–साम्पतिक अधिकार कहते है।

7. प्रधान एवं सहायक अधिकार :– प्रधान अधिकारों का अस्तित्व अन्य अधिकारों से स्वतंत्र होता है जबकि सहायक अधिकार प्रधान अधिकार अनुषंगी होता है।

8. लोक और निजी अधिकार :– राज्य में निहित अधिकार लोक अधिकार कहलाते है तथा निजी अधिकार व्यक्ति में निहित होते है।

9. मूल और संवैधानिक अधिकार :– मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते है तथा संवैधानिक अधिकार संविधान में वर्णित होते है।

10. निहित एवं संभाव्य अधिकार :– निहित अधिकार वे अधिकार होते है जो स्वतः पूर्ण होते है तथा जहां सारी आवश्यक शर्तें पूर्ण होती है तथा संभाव्य अधिकार किसी शर्त के पूर्ण होने पर प्राप्त होते है।

11. विधिक और साम्यक अधिकार :– विधि द्वारा मान्य अधिकारों को विधिक अधिकार कहते है तथा साम्यक अधिकार व्यक्ति द्वारा धारण किये गये अंश पर निर्भर करते है।

12. जस एड रेम और जस इन रे :– ऐसा विधिक अधिकार जिसमें कवजा नहीं मिलता। ऐसा विधिक अधिकार जिसमें कवजा सहित संपूर्ण अधिकार निहित होते है।

विधिक कर्त्तव्य

ये ऐसे कर्त्तव्य होते है जो विधि द्वारा मान्य होते है एवं यदि इन कर्त्तव्यों को नहीं निभाया जाता है तो उसे विधि विरूद्ध किया गया गलत कार्य माना जाता है।

परिभाषायें :–

प्रोफेसर ग्रे – विधि का मुख्य उद्देश्य लोगों को कुछ विशिष्ट कार्य करने या ना करने के लिए बाध्य करना जिससे मानवीय हितों का संरक्षण किया जा सकें, इस बाध्यता को कर्त्तव्य कहते है।

हिबर्ट –कर्त्तव्य व्यक्ति में निहित वह बाध्यता है जिसके कार्यों को राज्य की सहायता एवं अनुमति से नियंत्रित किया जा सकता है।

विधिक कर्त्तव्यों के प्रकार

1. सापेक्ष और निरपेक्ष कर्त्तव्य :– सापेक्ष कर्त्तव्य वे होते है जिसके सहवर्ती अधिकार भी होते है। निरपेक्ष कर्त्तव्य वे होते है जिनके सहवर्ती अधिकार नहीं होते है।

2. सकारात्मक एवं नकारात्मक कर्त्तव्य :– वह कर्त्तव्य जो आबद्ध व्यक्ति को कुछ करने के लिए बाध्य करे उसे सकारात्मक कर्त्तव्य कहते है तथा वह जो कुछ न करने के लिए बाध्य करें उसे नकारात्मक कर्त्तव्य कहते है।

3. प्राथमिक और द्वितीयक कर्त्तव्य :– प्राथमिक कर्त्तव्य वे कर्त्तव्य है जो दूसरे कर्त्तव्य पर निर्भर नहीं करते एवं स्वतंत्र अस्तित्व रखते है तथा द्वितीयक कर्त्तव्य प्राथमिक कर्त्तव्य पर निर्भर करते है। द्वितीयक कर्त्तव्य का प्रयोजन किसी अन्य कर्त्तव्य को परिवर्तित करना होता है।

4. विधिक एवं नैतिक कर्त्तव्य :– वह कर्त्तव्य जो विधि द्वारा मान्य हो और न्याय के प्रबन्धन के लिए आवश्यक हो उन्हें विधिक कर्त्तव्य कहते है। वे कर्त्तव्य जो नैतिकता के आधार पर किये जाते है उन्हें नैतिक कर्त्तव्य कहते हैं।

विधिक अधिकार एवं कर्त्तव्य में संबंध

अधिकार एवं कर्त्तव्य एक दूसरे से इस प्रकार सह संबंधित है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना करना संभव नहीं है।

विधि शास्त्री इस तथ्य पर सहमत है कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक सहवर्ती कर्त्तव्य जुड़ा होता है परंतु विधि शास्त्री इस बात पर सहमत नहीं है कि प्रत्येक के साथ सहवर्ती अधिकार होना अनिवार्य है क्योंकि कुछ कर्त्तव्य निरपेक्ष होते है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्त्तव्य होता है।

सामण्ड के अनुसार अधिकार एवं कर्त्तव्य दो व्यक्तियों के बीच वैधानिक दायित्व का एक बंध बनाते है अतः सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि अधिकार एवं कर्त्तव्य एक दूसरे से जुड़े है एवं सहवर्ती है।

Part – III

बाल कानून

– भारत की लगभग 42% जनसंख्या बच्चे है तथा ये बच्चे भारत की भावी पीढ़ी है जिनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है।

–NCRB (National Crime Report Bueraw) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड वहारो के अनुसार बच्चे के विरूद्ध होने वाले अपराध बढ़ते जा रहे है अतः सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इन अपराध को कम करें। इसके लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बाध्य है

– भारत सरकार ने 1992 में UN Convention on the right of the children पर हस्ताक्षर किया था।

अतः सरकार को बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना होगा तथा इससे भारत की मानव विकास रिपोर्ट में भी सुधार होगा तथा इससे भारत संधारणीय विकास उद्देश्यों को पूर्ण कर पायेगा।

संवैधानिक स्तर पर भी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए।

– बालश्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम 2016 :–

– यह अधिनियम बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम 1986 में संशोधन करता है। अधिनियम (1986) कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों में बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाता है और अन्य व्यवसायों में बच्चों के काम करने की स्थिति को नियमित करता है।

– 1986 के अधिनियम के तहत 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को कुछ विशेष व्यवसायों जैसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, बीड़ी निर्माण, कालीन बुनाई, हथकरघा और पावर लेम उद्योग, खनन और घरेलू कार्यों में काम पर रखने पर रोक लगाई है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार।

अधिनियम 2009 को ध्यान में रखते हुए 2016 वाले अधिनियम में सभी व्यवसायों में 14 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया सिवाय वहां बच्चा स्कूल के बाद अपने परिवार की सहायता करता हो। श्रव्य–दृश्य उद्योग तथा खेलकूद उद्योग नये अधिनियम में किशोर नाम से व्यक्ति का एक नया वर्ग जोड़ा गया। 14 और 18 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति को किशोर

कहा जाता है। इसमें दिये गये खतरनाक व्यवसायों (खनन, ज्वलन शील पदार्थ और खतरनाक प्रक्रियाएं में किशोर को काम पर रखने पर रोक है।

– केन्द्र सरकर इस सूची में से किसी भी खतरनाक व्यवसाय को जोड़/घटा सकती है।

– इस अधिनियम में किसी भी बच्चे को काम पर रखने के लिए दण्ड को बढ़ा दिया गया है। इसमें खतरनाक व्यवसाय में किशोर को काम पर रखने के लिए दण्ड को भी शामिल किया गया है।

– किशोरों के कार्य की परिस्थिति एवं सुरक्षा मानक सरकार द्वारा नियमित किये जा सकते है।

– किसी बच्चे को काम पर रखने के लिए दण्ड को बढ़ा कर 6 महीने से दो वर्ष के बीच कारावास (अभी 3 महीने से एक वर्ष) या 20,000 से 50,000 रूपये (अभी 10,000 से 20,000) जुर्माना या दोनों कर दिया गया है।

– किसी किशोर को खतरनाक व्यवसाय में काम पर रखने के लिए दण्ड 6 महीने से दो वर्ष के बीच कारावास या 20,000 से 50,0000 रूपये जुर्माना या दोनों है।

– किसी भी अभिभावक के पकड़े जाने पर उसे अपने बच्चे को कार्य पर रखने के लिए पहली बार में सजा माफ होगी परंतु दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रूपये का जुर्माना होगा।

– कानून के प्रावधानों को सही से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान कर सकती है।

– बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जायेगा जिसमें सभी जुर्मानों की राशि एवं सरकार द्वारा प्रत्येक बाल श्रम पीड़ित बच्चे के लिए 1500 रूपये निधि में डाले जायेंगे।

– नया अधिनियम में सरकार को उन स्थानों पर समय–समय पर निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है जहां बच्चों और किशोरों के रोजगार पर रोक लगायी गयी है।

• बाल–श्रम अधिनियम – 2016 की समीक्षा :–

सकारात्मक पक्ष :–

1. इस अधिनियम में पहली बार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में लगाये जाने पर रोक लगाई गयी है।

2. यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को ध्यान में रखते हुए बना है अतः यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने में सहायक होगा जिससे भारत में शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

3. यह अधिनियम लचीला है अतः इसमें कुछ अपवाद रखे गये है जैसे– बच्चा स्कूल के बाद अपने परिवार की सहायता कर सकता है।

4. श्रव्य–दृश्य मनोरंजन उद्योग तथा खेलकूद गतिविधियों में भी बच्चा हिस्सा ले सकता है।

5. पहली बार किशोरों (14–18 वर्ष) का वर्ग जोड़ा गया है तथा उनके खतरनाक व्यवसायों के काम पर रखने की रोक है।

6. खतरनाक व्यवसायों की सूची में लचीलापन है जिसमें केन्द्र सरकार व्यवसायों को जोड़ या हटा सकती है।

7. अधिनियम में बच्चों को काम पर रखने तथा किशोरों को खतरनाक व्यवसाय पर रखने पर दण्ड का प्रावधान है। दण्ड की अवधि 1986 के अधिनियम से अधिक रखी गयी है जो अब 6 महीने से 2 वर्ष तक की है तथा जुर्माना 20,000 से 50,000 रूपये तक है।

अभिभावकों को पहली बार पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान नहीं रखा गया है क्योंकि भारत में शिक्षा एवं जागरूकता का स्तर कम है एवं भारत के समाज की स्थिति को देखते हुए यह सही भी है।

– भारत में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा जैसी समस्याएं व्याप्त है अतः इतनी छूट आवश्यक भी थी।

8. अभिभावकों को दूसरी बार पकड़े जाने पर – 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा जो बालश्रम जैसे अपराध को रोकने में सहायक होगा।

9. जिला मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी देने से यह अधिनियम सुचारू रूप से लागू हो पायेगा।

10. जुर्माने की राशि तक निधि में आयेगी जो बच्चों के पुनर्वास के रूप में उपयोग में ली जायेगी तथा सरकार भी उसमें 15,000 रूपये का योगदान देगी।

11. नियमित रूप से निगरानी आदि बालश्रम को पूर्ण रूप से समाप्त करने में सहायक होगी।

नकारात्मक पक्ष :–

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम – 2009 के अंतर्गत सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। परंतु इस अधिनियम में केवल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर रखने की रोक है। 14 साल के प्रावधान के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता का प्रावधान रखा जाना चाहिए था।

2. इस अधिनियम में दिये गये अपवादों का दुरूपयोग होने की संभावना है।

3. इस अधिनियम में खतरनाक व्यवसायों की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गयी है तथा इन व्यवसायों की सूची को केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित करने के लिए छोड़ा गया है।

4. जिला मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम को लागू करने की शक्तियां दी जाने का प्रावधान है तथा जिला मजिस्ट्रेट का कार्यभार पहले ही काफी अधिक है अतः इस कार्य के एक पृथक समिति होनी चाहिए।

5. सरकार को केवल प्रतिबंध क्षेत्रों में निरीक्षण का अधिकार दिया गया है अतः यह निरीक्षण का अधिकार सभी व्यवसायों के लिए होना चाहिए था।

6. भारत में विभिन्न कानूनों एवं नीतियों में बच्चों की परिभाषा अलग–अलग है उदा. राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को बच्चा माना गया है। तथा इस अधिनियम में बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम मानी गयी है।

निष्कर्ष :–

यह अधिनियम बाल श्रम को रोकने में कारगर साबित होगा। इससे भारत की मानव विकास रिपोर्ट रैकिंग सुधरेगी और पोषणीय विकास लक्ष्यों को पूरा करना संभव हो पायेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार होगा जिससे भावी पीढ़ी का समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा और आने वाले समय में हम जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठा सकेंगे।

* POCSO Act – 2012

Protection of Children from Offences Act

लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

लागू – 14 नवम्बर 2012
अध्याय – 8
धाराएं – 38

RAS Mains

Paper –III Unit-II

लोकप्रशासन

1. अर्थ (Meaning)
2. प्रकृति (Nature)
3. महत्व (Significance)
4. भूमिका
5. एक विश्व के रूप में लोकप्रशासन का विकास
6. नवीन लोक प्रशासन
7. लोक प्रशासन के सिद्धांत
8. शक्ति
9. वैधता
10. सत्ता
11. उत्तरदायित्व
12. प्रत्यायोजन (Delegation)
13. पदसोपान (Hierary)
14. नियंत्रण का क्षेत्र (Span of Control)
15. आदेश की एकता
16. निगमित शासन (Corporate Government)
17. सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) (Corporate Social Responsibilty)
18. परिवर्तन का प्रबंध
19. लोक प्रबंध के नये आयाम (NPM)
20. लोक सेवा सत्यनिष्ठा (Integraty in Administration)
21. निष्पक्षता (Imparviality)
22. गैर पक्षधरता (Non Partnership)
23. लोकसेवाओं के प्रति समर्पण
24. सामान्यतः विशेषज्ञ संबंध
25. विधायी प्रशासन पद विधायी नियंत्रण
26. प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण
27. राज्यपाल
28. मुख्यमंत्री
29. मंत्रीपरिषद्
30. राज्य सचिवालय
31. मुख्य सचिव
32. जिला प्रशासन
33. जिलाधीश
34. पुलिस अधीक्षक (S.P.)
35. उपखण्ड प्रशासन
36. तहसील प्रशासन
37. विकास प्रशासन : अर्थ
38. विकास प्रशासन : विशेषताएं
39. विकास प्रशासन : क्षेत्र
40. प्रशासनिक विकास
41. राज्य मानवाधिकार आयोग

Springboard ACADEMY

42. राज्य निर्वाचन आयोग
43. राज्य वित्त आयोग
44. लोकायुक्त
45. राजस्थान लोक सेवा आयोग
46. लोक सेवा गारंटी अधिनियम

राज. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Class 11, 12 (लोकप्रशासन)
Chapter 1-7, 10-15, 19, 24-40

RAS Mains
Paper –I

Unit-III Part (B)

Management

1. प्रबंधन : अवधारणा
2. प्रबंध : प्रकृति
3. प्रबंधन : क्षेत्र
4. प्रबंधन : महत्व
5. प्रबंध के कार्य

6/5(a) नियोजन (Planning)
7/5(b) स्टाफिंग (नियुक्तिकरण)
8/5(c) निर्देशन
9/5 (d) समन्वय (Cordination)
10/5(e) नियंत्रण

11. निर्णय निर्माण
12. विपणन की अवधारणा (Concept Of Marketing)
13. विणणन मिश्रण (Marketing Mix) (4 P'S)
14. धन अधिकतयीकरण की अवधारणा
15. दीर्घकालीन वित्त के स्त्रोत
16. अल्पकालीन वित्त के स्त्रोत
17. पूंजी संरचना (Capital Structure)
18. पूंजी लागत (Capital Cost)
19. नेतृत्व
20. अभिप्रेरण (Motivation)
21. संचार (Communication)
22. भर्ती (Recruitment)
23. चयन (Selection)
24. प्रेरण (Induction) or आगमन
25. प्रशिक्षण एवं विकास (Trainning & Development)
26. मूल्यांकन प्रणाली (Appraisal System)

Staffing

Book : व्यवसाय अध्ययन : कक्षा 11, 12(NCERT)
Chapter : All

Springboard ACADEMY

RAS Mains
Paper –III
Unit- I
राजव्यवस्था (Polity)

1. पंचायती राज
2. नगरीय–स्थानीय, शासन संस्थाएं (Urban-Local Governance Body)
3. भारत निर्वाचन आयोग
4. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
5. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
6. नीति आयोग
7. केन्द्रीय सर्तकता आयोग (CVC)
8. केन्द्रीय सूचना आयोग
9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
10. लोकपाल

Author : M. Laxmikant

(Lesson – 1)
अध्याय –1
अर्थ

प्रशासन शब्द :–

संस्कृत भाषा का शब्द

प्र (उपसर्ग) → उत्कृष्ट

शास् (मूलधातु) → शासन करना

प्रशासन : "उत्कृष्ट रीति से शासन करना"

शाब्दिक अर्थ

Administration (अंग्रेजी शब्द)

MINISTRARE (लैटिन)

↓

किसी अन्य व्यक्ति के हित की दृष्टि से कोई कार्य करना।

शाब्दिक अर्थ :–

1. सेवा करना
2. लोगों की देखभाल करना
3. कार्यों का प्रबन्ध करना

प्रशासन की परिभाषा :–

हर्बर्ट साइमन :–

अपने व्यापकतम अर्थ में प्रशासन का आशय उन क्रियाओं से है जो समान उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप में संपादित की जाती है।

पिफनर प्रेस्थस :–

समान उद्देश्य के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों का संगठन व संचालन ही प्रशासन है।

लूथर गुलिक :–

Springboard ACADEMY

सुपरिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति को उपलब्ध करना ही (कार्यों को करवाना) प्रशासन है।

L.D. व्हाइट :–

समान उद्देश्य के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन समन्वय एवं नियंत्रण की कला प्रशासन है।

लोक प्रशासन :–

लोक शब्द :–

लोक प्रशासन में लोक शब्द सार्वजनिकता को प्रदर्शित करता है लोक के दो अर्थ लिये जाते है।

1. जनता / जनकल्याण
2. सरकार

– चूंकि वर्तमान संदर्भों में निजी संगठन सी.एस.आर (CSR) के कर्त्तव्य निभा रहे हैं और जनकल्याण के कार्य कर रहे हैं इसलिए लोक शब्द का अधिक उपयुक्त अर्थ सरकार माना जाना समुचित होगा।

CSR – Corporate Social Responsibility

परिभाषा : (लोक प्रशासन)
वुडरो विल्सन :
''लोक प्रशासन का पिता''
– विधि अथवा कानून को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रीति से क्रियान्वित करना लोक प्रशासन है।

L.D. व्हाइट :
– लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां आती है जिनका उद्देश्य ''लोक नीति को लागू करना'' होता है।

हर्बट साइमन :–
– जनसाधारण के अर्थ में लोक प्रशासन का आशय उन क्रियाओं से है जो केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती है।

पिफनर :–
– लोकप्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना फिर चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में X-Ray मशीन चलाने का हो या टकसाल में सिक्के ढालने का हो।

Lesson -2
लोकप्रशासन का क्षेत्र

व्यापक क्षेत्र :–
– इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की 'तीनों शाखाओं' से होता है।
1. विधायिका 2. न्यायपालिका 3. कार्यपालिका

Ex. – व्हाइट, मार्क्स, नीग्रो, डिमॉक

संकुचित क्षेत्र :–
– इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार की 'कार्यपालिका शाखा' से होता है।

Ex. –गुलिक साइमन, जोसिया स्टेम्प

POSDCORB दृष्टिकोण :– प्रतिपादक : ''लूथर गुलिक''

P- Planning
O- Organisation
S- Staffing (कर्मिक)
D – Directing
Co – Co – Ordination
R- Reporting
B- Budgeting

– लूथर गूलिक के अनुसार ''प्रशासन के क्षेत्र में 7 गतिविधियां'' आती है। (प्रबंध के कार्य) जो सार्वभौमिक संगठनों में लागू होती है।

विषयवस्तु दृष्टिकोण :–

प्रतिपादक

लेबिस मेरियम

– मेरियम POSDCORB की आलोचना करते हुए कहते है कि POSDCORB लोकप्रशासन के क्षेत्र की समुचित व्याख्या नहीं करता अपितु लोकप्रशासन का क्षेत्र तो उसकी विषयवस्तु पर निर्भर करता हैं।

–लेविस मेरियम का कथन :–

''लोकप्रशासन दो फलक वाली कैंची के समान है जिसका एक फलक POSDCORB तथा दूसरा फलक विषयवस्तु है।''

POSDCORB– कैसे
विषयवस्तु – क्या

जनकल्याणकारी/आदर्शवादी :–

– इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य अथवा सरकार द्वारा जो भी कार्य किये जाते हैं वह लोक–प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं।

– यह दृष्टिकोण लोक–प्रशासन को राज्य द्वारा जनकल्याण का एक उपकरण मानता है।

समर्थक :–
1. नीग्रो
2. नेहरू

प्रकृति

• एकीकृत प्रकृति : (समग्र प्रकृति)

– इस दृष्टिकोण के अनुसार संगठन में उच्च स्तर से निम्नस्तर तक समस्त कार्मिकों की क्रियाएं जैसे प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय, गृहपालन, सहायक आदि क्रियाएं प्रशासन का अंग होती हैं। इस प्रकृति को केवल समग्र प्रकृति भी कहा जाता है क्योंकि इस दृष्टिकोण का मानना है कि ये सभी क्रियाएं उद्देश्य के लिए सम्पादित की जाती हैं।

Ex. – व्हाइट
मार्क्स
नीग्रो
डिमॉक

• **प्रबंधकीय प्रकृति :–**

– इस दृष्टिकोण के अनुसार संगठन में प्रबंधकीय कार्यों जैसे POSCORB का संपादन करने वाला वर्ग ही प्रशासक वर्ग माना जाना चाहिए।

क्योंकि इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन का मतलब कार्यों का करना नहीं अपितु करवाना होता है।

यह दृष्टिकोण डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, लिपिक आदि को प्रशासक नहीं मानता है।

समर्थक :

Ex. साइमन
गुलिक
टीड
थाम्पसन
स्मिथ बर्ग

कला या विज्ञान

प्रशासन : एक कला (व्याख्या)

1. प्रशासन एक कला की भांति एक व्यवस्थित अभ्यास है।
2. प्रशासन कला की भांति व्यक्तित्व पर निर्भर करता है।
3. प्रशासक बनने के लिए विशिष्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती है।
4. महान प्रशासक जन्म लेते है बनाये नहीं जाते।
5. प्रशासन में ''शुभ'' (Good) की अभिव्यक्ति होती है।
6. प्रशासन देश–काल के अनुरूप परिवर्तनशील होता है।
7. प्रशासन मूल्य आबद्ध (Value Oriented) होता है।

समर्थक :– टीड
उर्विक
ग्लैडन
चार्ल्स वर्थ
M.P. शर्मा (Mandev Prasad) (Father of Public Ad. in India)
भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्रो.

प्रशासन :– एक विज्ञान :–

1. प्रशासन के पास विज्ञान की भांति सिद्धांत है।
2. ये सिद्धांत सार्वभौमिक निश्चित एवं सटीक है।
3. इन सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है।
4. प्रशासन मूल्य मुक्त है।

समर्थक :– बिल्सन
विलोबी
गुलिक
मर्सन
फैयोल

• **प्रशासन को विज्ञान मानने के संबंध में 3 मत :–**

1. प्रशासन वर्तमान में विज्ञान नहीं है परंतु भविष्य में बन जायेगा।

Springboard ACADEMY

समर्थक :– टेलर, उर्विक

2. प्रशासन के पास सिद्धांत है और यह विकास बनने की प्रक्रिया में है।

समर्थक :– साइमन, बीयर्ड, गिल्मोर।

3. प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में भी विज्ञान है।

समर्थक :– विल्सन, विलोधी, गुलिक, मर्सन, फेयोल

• वे चिंतक जिन्होंने प्रशासन के विज्ञान बनने का खण्डन किया

समर्थक :– राबर्ट हटल
मोरिस कोटेन
हरमन फाइनर

• वे चिंतक जिन्होंने प्रशासन के विज्ञान बनने को हानिकारक माना

समर्थक :– शूलर
वालेस

Note :-
– चूंकि प्रशासन में कला व विज्ञान दोनों के लक्षण विद्यमान है अतः इसे ''समाज विज्ञान'' की श्रेणी में रखना समुचित होगा।

lesson -4

लोक प्रशासन के सिद्धांत

संगठन की विचारधारा

1. वैज्ञानिक प्रबंध (टेलर)
2. शास्त्रीय उपागम (फेयोल, गुलिक, उर्विक, मूने–रैले)
3. मानव संबंध उपागम (एल्टन मेयो)
4. नौकरशाही उपागम (मैक्स वेबर)
5. व्यवहारवादी उपागम (बनर्डि)
6. व्यवस्था उपागम

1. वैज्ञानिक प्रबंध : (F.W. Tailor)

Fact :

1. "Father Of Scientific Management – F. W. Tailor"
2. वैज्ञानिक प्रबंध (शब्द) का सबसे पहले प्रयोग – लुई बैण्डीस (1910 में)

– टेलर से पूर्व प्रबंध की कमियां :–

1. **अंगूठा नियम :–** गलती करके सिखना
2. **सोल्डरिंग –** काम से बचने की प्रवृति
   – **प्राकृतिक सोल्डरिंग :–** स्वभाव/आदत के कारण काम से बचना
   – **व्यवस्थित सोल्डरिंग –** समूह के प्रभाव के कारण

– वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत :–

1. कार्य के विज्ञान का विकास
   (कार्य करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजना)
2. श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण
3. श्रमिक और कार्य के विज्ञान को साथ लाना।
   (श्रमिकों को यह बताना कि संगठन में कार्य करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है)
4. प्रबंधन एवं श्रमिकों के मध्य कार्य विभाजन एवं सहयोग

वैज्ञानिक प्रबंध की अन्य तकनीकें :–

1. समय/गति/थकान अध्ययन :–

– टेलर इन अध्ययनों के द्वारा ''कार्य के विज्ञान'' का विकास कहते है तथा साथ ही ''एक दिन के उचित उत्पादन'' को भी निर्धारित करते हैं।

2. विभेदीकृत मजदूरी व्यवस्था :–(A Piece Rate System)

– टेलर श्रमिकों को अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार (Overtime) सिद्धांत का समर्थन करते है।

''टेलर श्रमिकों को ''आर्थिक प्राणी'' मानते हैं।

"A Piece Rate System" में निर्धारित मानक तक तथा उससे ऊपर उत्पादन करने पर अलग–अलग मजदूरी की व्यवस्था होती है।

3. मानसिक क्रांति (Mental Revolution) :

– टेलर मालिक और मजदूरों की परम्परागत विरोधी मानसिकता में सामंजस्य लाने तथा औद्योगिक–सौहार्द के लिए मानसिक क्रांति का विचार दिया।

• टेलर के अनुसार मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का सार है।

– ''लाभ का बंटवारा'' मानसिक क्रांति का केन्द्र बिन्दु है।'' (A Piece Rate System के तहत मालिक मजदूरी को बांटता है।)

4. अपवाद द्वारा प्रबन्धन (Management by Weption) :–

– टेलर के अनुसार प्रबन्धन को दैनिक प्रकृति के महत्त्वहीन विषयों पर विचार करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपितु प्रबंधन को अपवाद स्वरूप आने वाली गंभीर समस्याओं रणनीतिक नियोजन (Planning) जैसे विषयों पर विचार करना चाहिए।

5. कार्यात्मक ''फोरमैनशिप'' (Functional Foremanship) :–

– टेलर ओदश की एकता को ''सैनिक प्रकार की चौधराहट'' कह कर आलोचना कहते है। एवं मानते है कि पर्यवेक्षक (Supervision) के कार्य के अनेक पक्ष होते हैं और इस हेतु विशेषीकरण के आधार पर ''8 फोरमैन'' की व्यवस्था देते है जिनमें से ''4 नियोजन'' (Planning) तथा शेष ''4 कार्यशाला'' क्रियान्वयन से संबंधित होते हैं।

– अन्य तथ्य :–

1. टेलर को ''कार्यकुशलता का मुख्य उपदेशक'' भी कहा जाता है।

2. टेलर के विचारों को ''कार्यशाला प्रबंधन'' भी कहते है।

3. टेलर के विचार रूस में ''स्तारतनोवाइट आंदोलन'' के रूप मे प्रसिद्ध हुये।

2. शास्त्रीय उपागम :–

(फेयोल, गुलिक, उर्विक, मुने–रैले)

1. हेनरी फेयोल : (14 सिद्धांत)

–प्रशासनिक प्रक्रिया पंथ के पिता

– सार्वभौम व्यक्ति

योगदान :–

– फेयोल ने प्रशासन को सार्वभौमिक प्रक्रिया माना।

– फेयोल प्रशासन को विज्ञान मानते है तथा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते।

संगठन/उपक्रम की 6 गतिविधियां :–

1. तकनीकी गतिविधि – उत्पादन
2. वाणिज्यिक गतिविधि – क्रय–विक्रय
3. वित्तीय गतिविधि – पूंजी की प्राप्ति एवं उपयोग
4. लेखांकन गतिविधि – लेन–देन का हिसाब–किताब
5. सुरक्षा गतिविधि –मानव एवं भौतिक संसाधनों की सुरक्षा
6. प्रशासनिक/प्रबंधकीय गतिविधि –"POCCC"
   - → Planning
   - → Organisation
   - → Coordination
   - → Command
   - → Control

संगठन के 14 सद्धिांत :–

1. कार्य विभाजन :–विशेषिकरण के आधार पर संगठन के कार्यों का बंटवारा करना।

2. सत्ता एवं उत्तरदायित्व :–

सत्ता :– आदेश देने की शक्ति एवं आज्ञा पालन करवाने का अधिकार।

उत्तरदायित्व :– अधीनस्थ पर कुछ करने या ना करने या विशेष प्रकार से करने का बंधन।

– फेयोल के अनुसार सत्ता एवं उत्तरदायित्व एक दूसरे के समान एवं अनुरूप होने चाहिए क्योंकि बिना सत्ता के उत्तरदायित्व निरर्थक होता है और बिना उत्तरदायित्व के सत्ता निरकुंश होती है।

3. अनुशासन :–

4. आदेश की एकता :–(Unit Of Command)

– किसी भी अधीनस्थ को केवल और केवल एक ही उच्चच अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए।

Spring Board ACADEMY

5. निर्देश की एकता (Unit of Direction) :-

– एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए।

फेयोल के अनुसार :–

– निर्देश की एकता के अभाव वाला संगठन 2 (दो) सिर वाले पशु, मानव का राक्षक के समान होता है जिसका अधिक समय तक जीवित रहना संभव नहीं होता।

6. व्यक्तिगत हितों का संगठन के सामान्य हितों के अधीन होना :–

7. पद सोपान :–

– पद सोपान एक सीढ़ी नुमा श्रृंखला या पिरामिडिय संरचना है जिसमें सत्ता एवं उत्तरदायित्व के आधार पर उच्चस्त एवं अधीनस्थ के संबंधों का निरूपण होता है।

– पद सोपान में 3 नियमों का पालन होता है।

1. आदेश की एकता
2. अनुरूपता का नियम
3. उचित माध्यम द्वारा

8. व्यवस्था (Order) :- सही स्थान पर सही व्यक्ति

9. केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीकरण :–

– फेयोल के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें अधीनस्थों का महत्त्व कम होता है, केन्द्रीकरण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें अधीनस्थों के महत्त्व में वृद्धि होती है विकेन्द्रीकरण कहलाती है।

फेयोल के अनुसार छोटे आकार के संगठनों में केन्द्रीयकरण तथा बड़े आकार के संगठनों में विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

10. कर्मिकों को पारिश्रमिक

11. कर्मिकों का स्थायी कार्यकाल

12. समता (Equity) :–

– प्रबंधन को सभी श्रमिकों के साथ समान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

13. पहल (Initiative) :–

– संगठन में रचनात्मक एवं नवीन विचारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

14. ESPIRITE DE CORDS (दल की भावना) :– एक सब के लिए, सब एक के लिए।

हेनरी फेयोल का योगदान :–,

गैंगप्लैक (Gang Plang) :–

– गैंगप्लेक फैंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता हैं

''नाव से उतरने के लिए लकड़ी का तख्ता''

संगठित अर्थ हैं

''स्तरों को लांघना''

– हेनरी फेयोल ने पदसोपान के दोषों एवं अधिक स्तरों के कारण संचार एवं निर्णय में होने वाले विलम्ब से बचने के गैंगप्लैक की व्यवस्था दी।

– गैंगप्लैक 2 समान स्तरों के अधिकारियों के मध्य सीधे संचार के पुल का कार्य करता हैं।

– गैंगप्लैक की एक शर्त है।

''उच्च अधिकारी की पूर्व अनुमति''

2. लूथर गुलिक : (10 सिद्धांत)

''लोकप्रशासन का डीन''

लूथर गुलिक का योगदान :–

1- POSDCORB

2. संगठन के 10 सिद्धांत

1. कार्य का विभाजन

2. विभागीकरण के 4 अधार :– इसे ''4 P'' कहते हैं।

(A) PURPOSE (उद्देश्य)	उदा.– रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय
(B) PROCESS (प्रक्रिया)	उदा. –CAG, DOIT
(C) PERSON (व्यक्ति)	उदा.– महिला एवं बाल विकास पूर्व सैनिक कल्याण विकास
(D) PLACE (स्थान/क्षेत्र)	उदा. – विदेश मंत्रालय

3. पद सोपान द्वारा समन्वय

4. सचेत समन्वय

5. समितियों द्वारा समन्वय

6. सूत्र एवं स्टाफ (Line & Staff) :-

सूत्र :–संगठन की वह इकाई जो संगठन के ''प्राथमिक उद्देश्यों'' की प्राप्ति में 'प्रत्यक्ष रूप से संलग्न होती है। सूत्र कहलाती है।

स्टाफ :– संगठन की वह इकाई जो सूत्र एजेन्सी को सहयोग सहायता या परामर्श प्रदान करती है, स्टाफ एजेन्सी कहलाती है।

Springboard ACADEMY

– सूत्र एवं स्टाफ की अवधारणा सैनिक से ली गई है।

Ex. : -

1. सेना में – सैनिक (Line सूत्र)

हथियार	वैज्ञानिक	Staff
मेडिकल	डॉक्टर	
परिवहन	ड्राइवर	

2. सचिवालय –Staff

निदेशालय (Directorate) – Line

7. विकेन्द्रीकरण

8. प्रत्यायोजन :–

– उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को ''कार्यों का सत्ता सहित हस्तांतरण'' प्रत्यायोजन होता है।

– प्रत्यायोजन में 2 प्रकार के उत्तरदायित्व का निर्माण होता है।

1. अंतिम उत्तरदायित्व :– जो सदैव उच्च अधिकारी के पास रहता है एवं उसका प्रत्यायोजन संभव नहीं होता।

2. तात्कालिक/संचालक उत्तरदायित्व (Inmidiate) :- जिसका प्रत्यायोजन होता है एवं यह अधीनस्थ के पास रहता है।

9. आदेश की एकता (Unit Of Command)

10. नियंत्रण का क्षेत्र :– अधीनस्थों की वह संख्या जिन पर एक उच्च अधिकारी प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण (Supervision) कर सकता है।

3. उर्विक : (8 सिद्धांत)

योगदान

–उर्विक ने संगठन को ''डिजायन या इंजीनियरिंग'' माना।

– उर्विक ने संगठन के ''29 उपसिद्धांत'' दिये।

– उर्विक ने संगठन के ''8 सिद्धांत'' दिये।

1. उद्देश्य का सिद्धांत :– प्रत्येक संगठन का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए।

2. उत्तरदायित्व का सिद्धांत :–अधीनस्थ द्वारा किये गये कार्यों के लिए उच्च अधिकारी को भी उत्तरदायी माना जाना चाहिए।

3. अनुरूपता का सिद्धांत

4. पद सोपान का सिद्धांत

5. विरोधकरण का सिद्धांत

6. समंव्य का सिद्धांत

7. नियंत्रण का क्षेत्र

8. परिभाषा का सिद्धांत

– संगठन में प्रत्येक पद से जुड़ी सत्ता, दायित्व, न्यायिक अधिकार आदि की स्पष्ट परिभाषा या निर्धारण होनी चाहिए।

4. मूरे एवं रैले : (4 सिद्धांत)

योगदान :– इन्होंने 4 सिद्धांत दिये।

1. समन्वय :–मूरे ने समन्वय को संगठन का प्राथमिक सिद्धांत कहा।

2. पद सोपान :–

3. कार्यात्मक विभेदीकरण

4. सूत्र एवं स्टाफ (Line & Staff)

3. मानव समबन्ध उपागम

मानव समबन्ध उपागम के 3 तथ्य :–

1. व्यक्ति
2. अनौपचारिक संगठन
3. सहभागी प्रबन्ध

(अल्टर मैयो– मानव संबंध उपागम का पिता)

– टेलरवाद एवं शास्त्रीय उपागम, व्यक्ति या श्रमिक को ''आर्थिक प्राणी'' मानते हैं तथा मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तत्वों की उपेक्षा करते हैं।

– जबकि मानव संबंध उपागम श्रमिक या व्यक्ति को ''सामाजिक प्राणी'' मानता है तथा स्वीकार करता है कि व्यक्ति विभिन्न मनौवैज्ञानिक एवं भावनात्मक कार्यों से प्रभावित होता है।

– मानव संबंध उपागम एक श्रमिक की व्यक्ति के रूप में गरिमा को स्वीकार करता है।

– वैज्ञानिक प्रबंध एवं शास्त्रीय उपागम में औपचारिक संगठन, पद सोपान, नियम, सिद्धांत आदि पर बल दिया जाता है और संगठन में कार्यरत कर्मिकों के मध्य स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाले अनौपचारिक संबंधों संजाल अर्थात् अनौपचारिक संगठन को नजर अंदाज किया जाता है।

– जबकि एल्टन मेयो अनौपचारिक संगठन को औपचारिक संगठन से अधिक महत्त्वपूर्ण मानते है।

– टेलरवाद एवं शास्त्रीय उपागम में एक श्रमिक की भूमिका एक ''यांत्रिक कलपुर्जे के समान'' थी तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में श्रमिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। जबकि मानव संबंध उपागम इस बात की वकालत करता है कि श्रमिकों को ''प्रबंधकीय निर्णय निर्माण प्रक्रिया'' में भाग लेने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए।

Springboard ACADEMY

एल्टन मेयो के प्रयोग :–

1. प्रथम शोध (1921) :

– फिलाडेल्फिया के पास कॉटन मिल में

– अनुपस्थितिवाद पर प्रयोग

2. हाथोर्न प्रयोग (1927–37) :–

– शिकागो के निकट हथोर्न नामक स्थान पर बेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में

– हार्थार्न में 4 प्रयोग हुये :–

1. महान प्रकाश प्रयोग
2. रिले असेम्बली प्रयोग
3. मानवीय अभिवृति एवं व्यवहार : गहन साक्षात्कर प्रयोग
4. सामाजिक संगठन (बैंक वायरिंग) प्रयोग

हार्थार्न प्रयोग के निष्कर्ष :–

1. उत्पादन का भौतिक परिस्थितियों से सीधा संबंध नहीं होता।

2. उत्पादन का मौद्रिक प्रोत्साहन से सीमा संबंध नहीं होता।

3. श्रमिक आर्थिक प्राणी न होकर सामाजिक प्राणी होता है।

4. संगठन प्रयोग या बैंक वायरिंग के निष्कर्ष :–

प्रत्येक श्रमिक प्रबन्ध के साथ अनौपचारिक समूह के सदस्य के रूप में प्रतिक्रिया करता है।

5. श्रमिकों का समूह स्वयं यह तय करता है कि ''एक दिन में कितना उत्पादन'' किया जायेगा।

6. कोई भी श्रमिक अधिक उत्पादन नहीं करेगा अन्यथा इसे ''रिट बस्टर'' (Rate Buster) कहा जायेगा।

7. कोई भी श्रमिक कम उत्पादन नहीं करेगा अन्यथा उसे Chisler (चिसलर) कहा जायेगा।

8. कोई भी श्रमिक शिकायत या चुगली नहीं करेगा। अन्यथा उसे Squeler (स्किलर) कहा जायेगा।

– हार्थार्न प्रयोगों के निष्कर्ष ''मैनेजमेंट एण्ड वर्कर'' (Mangement & Worker) नामक पुस्तक में प्रकाशित हुये जिसके लेखक ''रोथलिस्बर्गर एवं डिक्सन'' थे।

3. उद्योगों में अनुपस्थितिवाद पर प्रयोग (1943)

स्थान :– सदर्न कैलिफोर्निया में एयरक्राफ्ट इण्डस्ट्री

एल्टन मेयो के अन्य तथ्य :–

1. मेयो अपनी विधि को डॉक्टरी विधि, रोग जांच विधि, प्रश्नोत्तर विधि, परामर्श विधि या क्लीनिकल विधि कहते हैं।

2. यूनाटेड ऑटो वर्क्स के मजदूरों ने एल्टन मेयो को ''गाय समाजशास्त्री'' कहा।

Springboard ACADEMY

3. मेयो ने ''डेविड रिकार्डो की रैब्बल'' (Rebble) /भीड़/जनसमूह परिकल्पना का खण्डन किया जो कि व्यक्तियों के समूह को स्वार्थी एवं कामचोरों का समूह मानती थी।

4. मेयो ने ''राबर्ट ऑवन की हर्ड परिकल्पना'' का समर्थन किया जो व्यक्तियों के समूह के बारे में सकारात्मक राय रखती है।

5. एल्टन मेयो को ''प्रथम व्यवहारी'' माना जाता है।

4. नौकरशाही उपागम :–

(मैक्स वेबर)

या (अधिकारी तंत्र प्रतिमान)

BUREAUCRACY

Bureau ↓ मेज/डेस्क

Cracy ↓ शासन करना

– प्रारंभ में फ्रांस में मेज पर बिछाये जाने वाले कपड़े को ब्यूरो कहा जाता था बाद में ब्यूरो शब्द का प्रयोग उस स्थम के लिए किया जाने लगा जहां अधिकारी काम करते थे। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ – ''अधिकारियों का शासन''

– यद्यपि नकारात्मक संबंध में इसे मेन या डेस्क का शासन भी कहा जाता है।

– मेक्स वेबर के लिए ब्यूरोक्रेसी का अर्थ :–

''योग्य एवं नियुक्त अधिकारियों का प्रशासनिक ढांचा''

– ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग : ''विंसेट डी गोर्ने'' ने 1745 में किया।

– जब उन्होंने लिखा कि –

''फ्रांस में एक नई बिमारी ने जन्म लिया है और उस बीमार का नाम है ''ब्यूरोमेनिया''।

नौकरशाही है 4 प्रकार :–(F.M. Marx के द्वारा)

1. अभिभावक नौकरशाही :–

– शास्त्रों में शिक्षित, जनकल्याणाकारी परन्तु जनता के प्रति अनुत्तरदायी।

Ex. -1. चीन में शुंग कालीन नौकरशाही

2. प्रशा में मध्यकालीन नौकरशाही

(आज का जर्मनी, आस्ट्रिया)

2. जातीय नौकरशाही :–

– नौकरशाही के स्थानों पर, किसी जाति, वर्ग, या समूह विशेष का आधिपत्य

Ex. - 1. अमेरिका में लूट प्रथा (SPOIL SYSTEM)

Springboard ACADEMY

(1829–1883)

2. फ्रांस में पदों की नीलामी

अमेरिका में लूट प्रथा :–

– अमेरिका में नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा अपने राजनीतिक अनुयायियों या समर्थकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की प्रथा ''लूट प्रथा'' कहलाती है।

''जो जीता माल उसी का'' के सिद्धांत पर आधारित है।

– वर्ष 1880 में लूट प्रथा से हताशा एक नौजवान ने तत्कालिक राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या कर दी। जिसके उपरान्त 1883 में पेण्डलटन एक्ट लाया गया। और अमेरिका में योग्यता प्रणाली का प्रारंभ हुआ।

4. योग्यता नौकरशाही :–

– योग्यता एवं निश्चित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति।

Ex. –वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था

मेक्स वेबर :–

सत्ता के 3 प्रकार :–

1. परम्परागत सत्ता
2. करिश्माई सत्ता
3. कानूनी तार्किक सत्ता

1. परम्परागत सत्ता :–

– परम्पराओं में श्रद्धा या विश्वास के कारण परम्पराओं को संचालित करने वाले वर्ग की शक्ति को प्रदत्त वैधता से निर्मित सत्ता।

Ex. – 1. राजा का दैवीय सिद्धांत,

2. प्राचीन भारत में ब्राह्मण
3. तालबान

– इनका Staff

– पितृसत्तात्मक या सामंतवादी आधार पर चुने जायेंगे।

2. करिश्माई सत्ता :–

– किसी व्यक्ति के अलौकिक, अतिप्राकृतिक या अतिमानवीय गुण प्रतिभा या व्यक्तित्व में विश्वास के कारण व्यक्ति को प्रदत्त वैधता से निर्मित सत्ता।

STAFF व्यक्तिगत पसंद या अनुयायी से चुने जायेंगे।

3. कानूनी तार्किक सत्ता :–

Springboard ACADEMY

– किसी पद के कानूनी एवं तार्किक होने के कारण पद धारण करने वाले व्यक्ति को प्राप्त सत्ता।

Ex –वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाएं

STAFF :- योग्य एवं नियुक्ति अधिकारी चुने जायेंगे।

आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं :–

1. श्रम विभाजन
2. योग्यता
3. पद सोपान
4. नियमों का पालन
5. लिखित रिकार्ड्स
6. कार्मिकों को पारिश्रमिक
7. कार्मिकों को स्थायी कार्यकाल
8. करियर सेवा
9. **अनामता :–** व्यक्ति प्रसिद्धि या श्रेय की आकांक्षा से मुक्त रहकर कार्य करना।
10. **तटस्थता :–** राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव से मुक्त रहकर कार्य करना।
11. **निर्वैयक्तिकता (Depersonalisation)** – नौकरशाही में कोई भी आदेश पद की हसियत से दिया जायेगा ना कि व्यक्तिगत हसियत से तथा संगठन के साधनों का व्यक्तिगत हित साधन में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
12. तर्कसंगतता
13. **कार्यकुशलता :–**वेबर ने नौकरशाही को संगठन का सबसे कार्यकुशल प्रारूप माना तथा इसे ''लोहे का पिंजरा'' कहा।

नौकरशाही की आलोचनाएं

1. रॉबर्ट मर्टन के अनुसार मैक्स वेबर का आदर्श नौकरशाही प्रतिमान में आदर्श शब्द का प्रयोग गलत है क्योंकि नौकरशाही में आदर्श जैसा कुछ भी नहीं होता।

2. वेबर के आदर्श नौकरशाही प्रतिमान में वही कमियां है जो फेयोल के शास्त्रीय उपागम ये है :–

जैसे – पदसोपान, औपचारिकता, नियमों, कठोरता आदि पर अत्यधिक बल।

3. शास्त्रीय उपागम के समान नौकरशाही भी मानवीय तब एवं अनौपचारिक संगठन को नजर अंदाज करती है।

4. वेब्लेन नौकरशाही में प्रशिक्षित अक्षमता का दोष मानते हैं जिसके अनुसार की कमी मानते हैं जिसके अनुसार नौकरशाही की कार्यप्रणाली व्यक्ति को अक्षमता के लिए प्रशिक्षित करती है।

5. नौकरशाही में नियमों के कठोरता से पालन के कारण लक्ष्यों का विस्थापन होता है। अर्थात् जो नियम साधन होते हैं वे साध्य (End) बन जाते है।

6. पीटर सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही में प्रबंधक अपनी अक्षमता का स्तर बढ़ा देते है।

7. पारकीन्सन (पार्किन्सन) नियम के अनुसार नौकरशाही अपने कार्यों में वृद्धि बताकर वार्षिक 5.75% की दर से अपने आकार में वृद्धि करती है जबकि कार्यों में वृद्धि की वास्तविकता नहीं होती है।

8. लार्ड हीबर्ट ने नौकरशाही को नवीन निरंकुशता की दी।

9. रैम्जेम्योर ने नौकरशाही को ''फैंकनस्टीन का दैत्य'' कहा।

10. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मंत्रियों को नौकरशाह के हाथों की कठपूतली कहा।

11. माइकल क्रोजिएर के अनुसार नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो अपनी गलतियों से भी नहीं सिखता।

12. राबर्ट मिशेल ने नौकरशाही को ''अल्पतंत्र का लौहनियम'' कहा।

13.. थॉमस कार्लाइल ने नौकरशाही को ''महाद्विपीय कटंक'' (Continental Nusanse) कहा।

14. नौकरशाही में बंद व्यवस्था के दोष परिलक्षित होते है। अर्थात् नौकरशाही गतिशील वातावरण के साथ साम्जस्य करने में सक्षम प्रतीत नहीं होती।

15. कार्ल मार्क्स के अनुसार नौकरशाही एक उपकरण है जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है।

16. वारनॉट ने नौकरशाही में व्यावसायिक मनः संताय तथा डेवी ने पेशेवर विकृति का दोष पहचाना।

नौकरशाही का निष्कर्ष

यद्यपि मैक्सवेबर के आदर्श नौकरशाही प्रतिमान की विभिन्न चिंतकों द्वारा गंभीर आलोचना की गई है। यहां तक की वारेन बेनिस ने अगले 20 सालों में नौकरशाही की समाप्ति की भविष्यवाणी की थी। परंतु इस वास्तविकता में स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वेबर का आदर्श नौकरशाही प्रतिमान लोकप्रशासन के साहित्य में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वैचारिक योगदान है व्यवहारिक रूप से नौकरशाही का आज भी अस्तित्व है एवं संगठन के प्रारूपों में सर्वाधिक कार्यकुशल प्रारूप है।

चिंतकों द्वारा नौकरशाही की कमियों एवं दोषों को उजागर किया जाता है परंतु आज तक कोई भी चिंतक नौकरशाही का विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाया।

एक विषय के रूप में लोकप्रशासन विकास

चरण	समय	नाम
(I)	1887–1926	राजनीति–प्रशासन विभाजन का काल
(II)	1927–1937	सिद्धांतों का स्वर्णकाल
(III)	1938–1947	चुनौती का युग
(IV)	1948–1970	पहचान का संकट

Springboard ACADEMY